



श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
Sri Venkateswara College
(University of Delhi)
NAAC Grade A+



प्रोफेसर वज्जला रवि
प्राचार्य

प्रपत्र संख्या : रा.भा./श्री वेंकटेश्वर/2024/P/7607


दिनांक 10 जून 2024


कार्यालय आदेश/Office Order

महाविद्यालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के समुचित अनुपालन के लिए तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से तत्संबंधी कार्यालय आदेश संख्या आरबीसी/044/सं. आ. (09)/2032/3006-33346 दिनांक 31-07-2023 (प्रति संलग्न) के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया जाता है:-

- राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अधीन सभी नामपट्ट, पत्र-शीर्ष, मानक फॉर्म, नामपट्ट, साइन बोर्ड, रबड़ की मोहरें, पद धारिता बोर्ड, विज्ञापन, निमंत्रण पत्र, लिफाफों पर पते इत्यादि द्विभाषी रूप में (ऊपर/पहले हिन्दी तथा नीचे/बाद में अंग्रेजी) मुद्रित किए जाएं।
- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सामान्य आदेश (General Orders), ज्ञापन (Memorandums), अधिसूचनाएं (Notifications), करार (Agreements), निविदा सूचनाएं तथा निविदा प्रपत्र (Tender Documents and Tender forms), प्रशासनिक रिपोर्ट (Administrative Reports), सूचनाएं (Notices), प्रेस विज्ञप्तियां (Press Communiques) आदि आवश्यक रूप से द्विभाषी (हिन्दी तथा अंग्रेजी) में जारी किए जाने चाहिए।
- सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जाएं तथा सभी प्रकार के रजिस्ट्रों आदि के शीर्षक द्विभाषी हों।
- राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987, 2007 तथा 2011) के नियम 5 के अधीन हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिए जाने चाहिए।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम-प्रतिलिपि संलग्न (वर्ष 2024-2025) (महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध) में हिन्दी में पत्राचार आदि संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएं ताकि निर्धारित लक्ष्यों को यथाशीघ्र निश्चित समयावधि के अंदर प्राप्त किया जा सके।

संलग्नक : उपरोक्त


प्राचार्य
Principal
श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय
Sri Venkateswara College
दिल्ली विश्वविद्यालय / University of Delhi
धौला कुआँ, नई दिल्ली / Dhaula Kuan, New Delhi-21

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:- सभी विभागों के शिक्षक-प्रभारी/समन्वयक, छात्रावास अधीक्षक, संयोजक-क्रय समिति, पुस्तकालयाध्यक्ष, अनुभाग अधिकारी (लेखा), अनुभाग अधिकारी (प्रशासन), स्थापना अनुभाग, प्राचार्य कार्यालय, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, अभीक्षक (केयरटेकर); एवम् महाविद्यालय की वेबसाइट.